कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :–शिविरा/माध्य/मा–स/विविध/वो–II/2018/36 दिनांकः– 15.10.2018

समस्त संस्था प्रधान
राज. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय
राज.बा.माध्यमिक/बा.उच्च माध्यमिक विद्यालय

विषयः– विद्यार्थियों में ऑनलाईन गेम "मोमो चैलेन्ज" के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने बाबत्।
प्रसंगः– इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 08.10.18

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा बालक–बालिकाओं में चैलेंज देकर कुण्ठा, स्वःघात तथा निराशा जैसी मानसिक कमजोरियां उत्पन्न करने वाले ऑनलाईन गेम "मोमो चैलेन्ज" के प्रति जागरूकता तथा विद्यालयों में इसके प्रति सतर्कता बरतने हेतु निर्देश प्रदान दिए गए थे। उक्त निर्देशों के अनुवर्तन में उक्त आत्मघाती ऑनलाईन गेम के सम्बन्ध में विस्तृत परिचयात्मक विवरण देते हुए विद्यालयों एवं अभिभावकों द्वारा अपने विद्यार्थियों एवं बच्चों को इसके दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखने हेतु दायित्व एवं अग्रिम सतर्कता तथा सावधानी के दृष्टिगत अग्रानुसार परामर्शक निर्देश प्रदान किए जाते हैं :–

1. **मोमो चैलेन्ज है क्या** ? :–

यह एक ऑन लाईन चैलेन्ज टास्क है, जिसमें साधारणतया वाट्सअप अथवा अन्य सोशियल साईट्स के माध्यम से किशोर वय को अपरिचित नम्बर से मैसेज भेजा जाता है और धीरे–धीरे उनकी सभी निजी जानकारियां प्राप्त कर लेता है। इस औपचारिक मित्रता के बाद मोमो द्वारा छोटी–छोटी चुनौतियां किशोरों को दी जाती है, जैसे नृत्य का वीडियो अपलोड करें, पुस्तक के पृष्ठ फाड़ कर अपलोड करें इत्यादि। ये चुनौतियां धीरे–धीरे आत्मघाती और पीड़ा दायक होने लगती है। किशोर–किशोरियों को इन्हें करने के लिये बाध्य किया जाता है, अन्यथा उनकी निजी जानकारियां सार्वजनिक करने अथवा अन्य तरीकों से भयादोहन (Blackmail) कर धमकाया जाता है। किशोर इसके मध्य फंस कर घोर निराशा की ओर अग्रसर हो जाता है और कभी–कभी आत्मघाती कदम भी उठा लेता है। मोमो एक काल्पनिक डिजिटल महिला का चरित्र है, जिसका मुंह पक्षी की तरह चित्रित किया गया है। कुल मिलाकर यह एक मैसेज है, जो लगातार एक चैलेंज के रूप में वाट्सएप अथवा अन्य सोशियल साईट्स से किशोर वय बालक–बालिकाओं को अपरिचित नम्बर से प्राप्त होकर उन्हें अपने समाज, परिवार और पढ़ाई से दूर कर निराशा, घृणा और मानसिक तनाव की ओर ले जाता है। अतः परिवार, अभिभावक एवं विद्यालय का दायित्व है कि वे इस हेतु न केवज जागरूक रहे, वरन् सजग भी रहें कि कहीं ये डिजिटल अपराध हमारे विद्यार्थी के मोबाईल में तो नहीं पहुंच गया है ?

2. **सहपाठियों के पारस्परिक दायित्व** :–

यद्यपि सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया अनवरत होती है। हम हर कहीं से सीखते हैं, परन्तु शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया में सबसे सहज अपने मित्र और सहपाठी के साथ होता है। बहुत सी बातें जो पुस्तकों और शिक्षकों से नहीं सीख पाता है, वह बालक अपने मित्रों

और सहपाठियों से सहज ही में सीख जाता है। अच्छा मित्र वही होता है, जो अपने सहपाठी के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में सहायक हो। इस नाते एक सहपाठी का का यह दायित्व है कि वह अपने साथी मित्र के व्यवहार में आकस्मिक परिवर्तत महसूस करें, उसका मित्र विद्यालय में मोबाईल लाए अथवा घर या अन्य स्थान पर मोबाईल को मित्र से छुपाने का प्रयास करे, मित्र अकेले में रहना प्रारंभ कर दे, तो उसके अभिभावक एवं अपने कक्षाध्यापक को इस सम्बन्ध में सूचित करे तथा उस पर नजर रखे। पारस्परिक मित्रों द्वारा एक दूसरे पर रखी ऐसी नजर से भी भ्रामक दिशा देने वाले इस "मोमो चैलेन्ज" के भयावह दुष्परिणामों की रोकथाम की जा सकती है।

3. <u>संस्था प्रधान एवं शिक्षकों के दायित्व</u> :–

बालक–बालिकाएं अपना अधिकांश सचेतन समय विद्यालय में व्यतीत करते हैं, अतः विद्यालय की गतिविधियां इसे अधिकतम प्रभावित करती है। चूंकि "मोमो चैलेन्ज" का टार्गेट किशोरवय (12 से 16 वर्ष) ही है, अतः इस सम्बन्ध में प्रशासन की सजगता एवं दायित्वबद्धता आवश्यक है। विद्यालय में मोबाईल के उपयोग पर प्रतिबंध है, अतः संस्था प्रधान कक्षाध्यापक के माध्यम से इस निर्देश की पालना सुनिश्चित करावें कि विद्यालय में कोई विद्यार्थी मोबाईल का उपयोग न करे। संस्थाप्रधान तेजी से परिवर्तित हो रहे ग्लोबल वातावरण, डिजिटल परिवर्तन आदि के संबंध में स्वयं अपडेट रहे तथा प्रार्थना सभा में संस्था प्रधान द्वारा विद्यार्थियों से संबंधित नवीन चुनौतियों, परिवर्तनों के बारे में उन्हें जागरूक करे, सचेत रखें। कक्षाध्यापक किसी बालक–बालिका में हुए आकस्मिक व्यवहारगत् परिवर्तत पर सूक्ष्म दृष्टि रखे, ऐसा एहसास होने पर न केवल उसकी तह तक जाए, वरन् उनके माता–पिता से तत्काल सम्पर्क स्थापित करे। यदि कोई बालक ऑनलाईन गतिविधियों में संलिप्त है, तो उस पर विशेष नजर रखी जानी आवश्यक है। ऐसे विद्यार्थियों की सामूहिक एवं व्यक्तिगत काउन्सलिंग भी की जावे। साइबर कानून संबंधी जानकारी से विद्यार्थियों को अवगत कराया जावे। विद्यालय में विद्यालयी खेलकूद का नियमित आयोजन हो, जिससे मनोरंजन के विकल्पों की तलाश हेतु विद्यार्थियों को अन्यत्र दृष्टि नहीं डालनी पडे। नियमित गृहकार्य की जाँच की जावे, गृहकार्य में शिथिलता बरतने वाले विद्यार्थियों को इस दृष्टि से भी परखा जावे। यदि संस्था प्रधान अथवा शिक्षक को किसी विद्यार्थी के "मोमो चैलेन्ज" में संलिप्त होने की जानकारी मिलती है, तो तत्काल संवेदनशील होते हुए उस पर नजर रखी जावे, उसके माता–पिता तथा काउन्सलर से सम्पर्क कर उसका मानसिक भय दूर करने का प्रयास किया जावे। प्रयास यह होना चाहिए कि विद्यार्थी ऐसी डिजिटल उलझन से यथासम्भव दूर ही रहे।

4. <u>अभिभावकों का दायित्व</u>:–

डिजिटल गैजेट्स उपयोगी होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, परन्तु उसका कब और कैसा उपयोग किया जाना है, इसे ध्यान में रखा जाना बहुत आवश्यक है। माता–पिता अपने किशोरवय बालक–बालिकाओं को गैजेट्स दिलाने से पहले उसकी आवश्यकता और उपयोग का आकलन अवश्य करें। प्रायः यह देखा जाता है कि अभिभावक केवल प्रतिस्पर्धा में अपने बालक–बालिकाओं को मंहगे फोन, आई–पेड और डिजिटल गैजेट्स दिला देते हैं। इसे उपलब्ध कराने भर से दायित्व का निर्वहन नहीं हो जाता। अभिभावकों को यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि जिस उद्देश्य के ये गैजेट्स दिलाए गए हैं, उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। इनके फोन, गैजेट्स में चाइल्ड लाक लगाया जावे अथवा ऐसा साफ्टवेयर उपयोग में लिया जाए जिससे प्रतिबंधित कार्यक्रम, साईट्स का उपयोग नहीं किया जा सके। बालक–बालिका के मोबाईल एवं गैजेट्स को समय–समय पर जाँचना आवश्यक है । यदि

उस पर लॉक है, फिर तो अवश्य जाँचा जावे। उसकी निजता का सम्मान करना भी जरूरी है, परन्तु अभिभावक के नाते उसे सही दिशा की ओर अग्रसित करना भी आवश्यक है। यदि उसके व्यवहार में आकस्मिक परिवर्तन आ रहा हो, बालक–बालिका एकाकी रहने लगा हो, चिड़चिड़ा हो गया हो, बात–बात पर उत्तेजित हो रहा हो या उत्तेजनाशून्य हो, तो आवश्यक रूप से उसके मानसिक व्यवहार में निरीक्षण की आवश्यकता है। विद्यालय समय पर जाना और लौटना, मित्रों से अनायास बातें कम करना, अध्ययन में रूचि नहीं लेना, नियमित दिनचर्या में परिवर्तन आदि ऐसे लक्षण हैं, जिससे यह आभास होता है कि बालक–बालिका की प्राथमिक रूचि परिवर्तित हो गई है। यह मोमो चैलेन्ज अथवा ऐसी कोई अन्य डिजिटल उलझन हो सकती है। ऐसी स्थिति में अभिभावक सचेत हो जाए, विद्यालय में सम्पर्क करे। आवश्यकता होने पर मनोपरामर्शक के साथ अपने बालक–बालिका की काउन्सलिंग भी करावें।

उपर्युक्त परामर्श विद्यार्थियों को डिजिटल समझ के अभाव अथवा निरर्थक उपयोग के कारण व्यक्तित्व निर्माण में आने वाली बाधाओं एवं मानसिक उलझनों में पड़कर निराशा की ओर अग्रसर होने से बचाना है। प्रयास यही हो कि किसी भी वैज्ञानिक/डिजिटल सुविधा का सही उपयोग हो, अधिगम में सहायक बने, ना कि अधिगम को बाधित करे और विद्यार्थी के मानसिक विकास की दिशा में रूकावट बने।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
6. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर/सादुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर।
7. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग।
8. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक।
10. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

E:\Genral letter.docx
113